संख्या-290/2021/28ई/23-11-2021-1/2(150)/2015

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु स्वीकृत चालू कार्य के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-10771बी0जी0/7बी0-मॉग/2020-21, दिनांक 07-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्ग योजनान्तर्गत जनपद मुख्यालय एटा (एन0एच0-91 कि0मी0 202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 0.00 से 20.00 कि0मी0) पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश सं0-53/2019/130ई/23-11-2019-1/2(21)/2017, दिनांक 07-03-2019 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 1500.00 लाख का भुगतान कोषागार से न हो पाने के कारण, उक्त लैप्स धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड मात्र) को वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुन: अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में शा0 सं0-53/2019/130ई/23-11-2019, दि0 07-03-2019 द्वारा अवमुक्त धनराशि			वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि	वर्ष 2018-19 में ससमय धनराशि के समर्पण न हो पाने के कारण व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुन: आवंटन का फॉट		
			अनुदान सं0-58	अनुदान सं0-83	योग			अनुदान सं0-58	अनुदान सं0-83	योग
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एटा प्रा0ख0	जनपद मुख्यालय एटा (एन0एच0-91 कि0मी0 202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 0.00 से 20.00 कि0मी0)।	15291.56	3151.60	848.40	4000.00	2500.00	1500.00	**1181.85**	**318.15**	**1500.00**

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(6) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य-0303-राज्य राजमार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20-01-2021 एवं शासनादेश संख्या-04/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07-04-2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-290/2021/28ई(1)/23-11-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।